global witness

उत्पीड़न को बढ़ावा

अमीरात समर्थित तेल परियोजना भारत के कोंकण तट पर संघर्ष को बढ़ावा दे रही है

फरवरी **2024**

Global Witness

भारत के कोंकण तट पर मुंबई से लगभग 300 किलोमीटर दूर दक्षिण में दुनिया की सबसे बड़ी नई जीवाश्म ईंधन परियोजनाओं में से एक को लेकर हुए संघर्ष में अब तक सैकड़ों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। यही नहीं, एक पत्रकार की हत्या भी हो चुकी है।

सऊदी की मदद से पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी निर्माण की ये योजना महाराष्ट्र के ग्रामीण जिला रत्नागिरी में चल रही है। ये जिला फल और मछड़ी पकड़ने के उद्योगों के लिए प्रसिद्ध है। स्थानीय अपनी आजीविका पर पड़ने वाले असर को लेकर डरे हुए हैं तो वहीं पर्यावरणविद् पर्यावरण पर पड़ने प्रभाव को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में इस योजना का विरोध करने के लिए लोग एकजुट हो गये हैं।

विरोध कर रहे लोगों का आरोप है कि उनके डर और चिंता को दूर करने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया। बल्कि स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं को अपराधी बना दिया गया। उनकी जासूसी की गई जिसकी वजह से उन्हें छिपने के लिए मजबूर होना पड़ा।

एक साल पहले इस मुद्दे पर रिपोर्टिंग कर रहे एक पत्रकार की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। इस हत्या का आरोप इस योजना के एक समर्थक और रिफाइनरी में काम करने वाले व्यक्ति पर है। ग्लोबल विटनेस ने इस बात के सबूत देखे हैं कि इस योजना के समर्थकों ने मूल रूप से स्थानीय लोगों को इसके बारे में बताया ही नहीं और काम शुरू कर दिया। ऐसे में यह भागीदारी और सहमति पर अंतरराष्ट्रीय मानकों का उल्लंघन है।

कड़े विरोध के बावजूद भारत और सऊदी की सरकारों ने हाल ही में योजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक वर्क फोर्स बनाने का भी ऐलान कर दिया।

इस योजना के विरोध का नेतृत्व कर रहे समुदाय के नेता अमोल बोले ने ग्लोबल विटनेस को बताते हैं, "हमारी लड़ाई आखिरी दम तक चलेगी।" "हम सरकार से कहना चाहते हैं कि अब तक आप लाठी और आंसूगैस लेकर आए हैं। लेकिन अगर आपको मकसद में सफल होना है तो आपको बंदूकें और गोलियां लानी होंगी।"

भारत के महाराष्ट्र में काशेली गाँव, जहाँ पत्रकार शशिकांत वारिशे फरवरी 2023 *में मारे जाने तक अपने परिवार के साथ रहते थे। श्रेय: आशीष वैष्णव / वैश्विक गवाह*

एक स्थानांतरित रिफाइनरी / स्थानांतरित रत्नागिरी रिफाइनरी

इस योजना ने अरब सागर के दोनों ओर से तेल दिग्गजों को एक साथ कर दिया। आधा हिस्सा सऊदी अरामको और यूएई की सरकारी स्वामित्व वाली अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी (एडीएनओसी) के बीच बंटा हुआ है। अन्य को तीन भारतीय तेल कंपनियों - इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन (IOC), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (BPCL) और हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (HPCL) में बांटा गया है जिन्होंने मिलकर 2017 में रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (RRPCL) नामक एक संयुक्त उपक्रम का गठन किया।

वर्ष 2018 में एडीएनओसी और अरामको 60 मिलियन टन प्रति वर्ष की तेल रिफाइनरी के निर्माण के लिए आरआरपीसीएल के साथ साझेदारी पर सहमत जताई। प्रति वर्ष 1.2 मिलियन बैरल प्रोसेसिंग करने में सक्षम इस विशाल औद्योगिक इकाई का शुरू में नानर नामक गांव के पास 15,000 एकड़ भूमि को लेने का इरादा था। लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध की वजह से बात बन नहीं पाई।

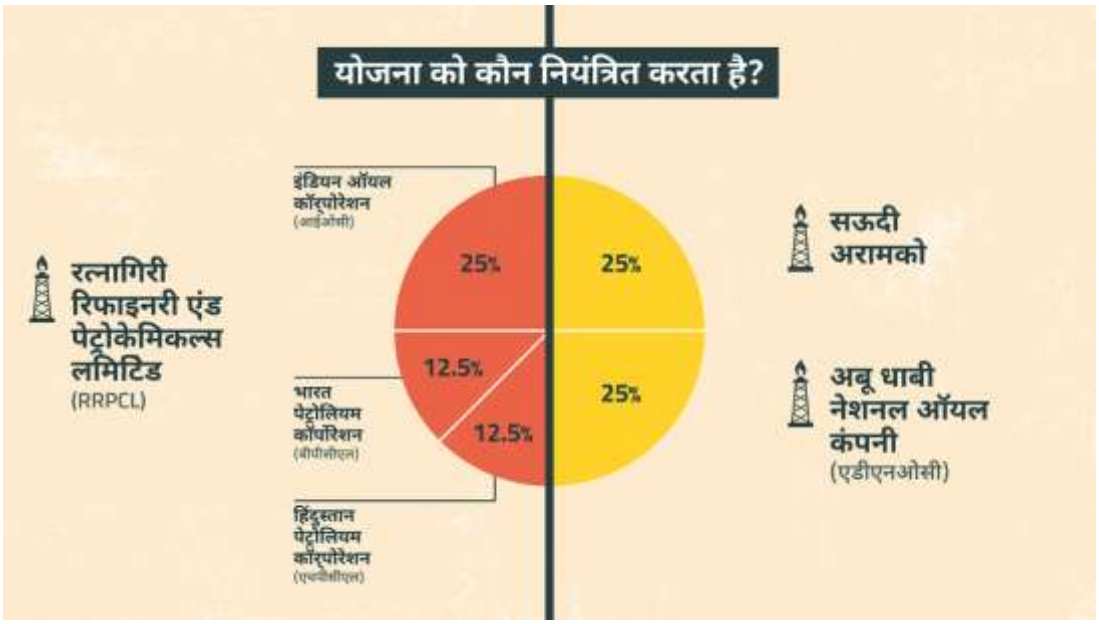

तीन साल बाद राज्य विधानमंडल के अधिकारियों ने मूल स्थल से 12 किमी उत्तर में एक क्षेत्र के ग्राम नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें रिफाइनरी को पास में स्थानांतरित करने की योजना के बारे में बताया। इसके संभावित प्रभावों को लेकर चिंतित बारसू, सोलगांव, गोवल, शिवाने और देवाचे गोठाणे के गांवों के लगभग 5,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले स्थानीय ग्राम परिषदों ने इनके प्रस्तावों को खारिज करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया।

स्थानीय लोगों को डर है कि अधिकारी बिना इनकी परवाह किये योजना को आगे बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए ग्रामीणों और पर्यावरणविदों ने बारसु सोलगांव पंचक्रोशी रिफाइनरी विरोधी संगठन (बीएसपीआरवीएस): बारसु-सोलगांव रिफाइनरी का विरोध करने वाली समिति के बैनर तले एकजुट हुए। वे इस बात से नाराज थे कि प्रभावित होने वाले समुदायों के साथ कोई चर्चा किए बिना इस क्षेत्र को रिफाइनरी योजना के लिए चयनित कर लिया गया।

देवाचे गोठाणे के पूर्व परिषद नेता कमलाकर मारुति गुरव ने ग्लोबल विटनेस को बताया, "योजना को यहां स्थानांतरित करने के फैसले को लेकर किसी से बात नहीं की गई। सरकार ने हमें पूरी तरह से अंधेरे में रखा।"

> ***"योजना को यहां स्थानांतरित करने के फैसले को लेकर किसी से बात नहीं की गई। सरकार ने हमें पूरी तरह से अंधेरे में रखा।"*** – देवाचे गोठाणे के पूर्व परिषद नेता कमलाकर मारुति गुरव

एक स्थानीय पत्रकार की हत्या

इस योजना के विरोध में विवाद बढ़ता देख 48 वर्षीय पत्रकार शशिकांत वारिशे ने द महानगरी टाइम्स नाम के एक मराठी डेली अखबार में इस मामले पर रिपोर्टिंग शुरू की। वारिशे के संपादक सदाशिव केरकर ने पिछले साल इंडियन एक्सप्रेस को बताया था, "शशिकांत ने ग्रामीणों की भूमि अधिग्रहण की आशंकाओं के साथ-साथ पर्यावरणविदों की चिंताओं पर विस्तार से रिपोर्टिंग की।"

6 फरवरी 2023 को महानगरी टाइम्स ने वारिश का आखिरी रिपोर्ट प्रकाशित किया। उस दोपहर घर जाते समय वारिशे फोन पर बात करने के लिए अपनी मोटरसाइकिल को सड़क किनारे तक ले जाते हैं। कुछ मिनट बाद एक जीप ने उन्हें टक्कर मार दी और वे अपनी बाइक के साथ कई मीटर तक सड़क पर घसीटते रहे। मौके पर मौजूद लोग वारिशे को अस्पताल ले गए, लेकिन अगले दिन उनकी मौत हो गई।

महानगरी टाइम्स के पत्रकार शशिकांत वारिशे, जिनकी फरवरी 2023 में रिफाइनरी योजना के स्थानीय विरोध पर रिपोर्ट करने के बाद हत्या कर दी गई थी

दुर्घटना के तुरंत बाद पुलिस ने स्थानीय व्यापारी और रिफाइनरी योजना के जाने-माने समर्थक पंढरीनाथ अंबरकर नामक 42 वर्षीय व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया। इसके तुरंत बाद उन पर वारिस की हत्या का आरोप लगाया गया। आरोप पत्र में बताया गया कि वारिशे एक मकसद के तहत पत्रकारिता कर रहे थे और उन्होंने अखबार में लगातार लिखा कि कैसे तय रिफाइनरी योजना स्थानीय किसानों की आजीविका को नष्ट कर देगी। विशेष रूप से वारिशे ने अंबरकर पर रिफाइनरी साइट के आसपास भूमि सौदों में दलाली करके रिफाइनरी योजना से लाभ कमाने की कोशिश करने का आरोप लगाया था। आरोप पत्र में कहा गया है कि इस कवरेज की वजह से अंबरकर गुस्से में था।

यह दुश्मनी वारिशे की अंतिम रिपोर्ट के साथ खत्म हुई। जिसमें उन्होंने रिफाइनरी को बढ़ावा देने वाले पोस्टरों पर टिप्पणी की जो राजापुर के आसपास चिपकाए गए थे जिसमें अंबरकर और प्रमुख महाराष्ट्रीयन राजनेताओं की तस्वीरें थीं। वारिश ने राजनेताओं से पूछा, "इन तस्वीरों में आपके साथ कौन है?", उन्होंने अंबरकर को "जमीन दलाल और अपराधी" कहा।

पुलिस आरोपपत्र में आरोप लगाया गया है कि इन शब्दों के प्रकाशित होने के कुछ घंटों बाद, अंबरकर ने वारिशे का पता लगाया और उसे अपनी जीप के पहियों के नीचे कुचल दिया।

हत्या और आपराधिक कनेक्शन

फॉरिबडेन स्टोरीज और इंडियन एक्सप्रेस की एक संयुक्त रिपार्ट से रिफाइनरी कंपनी आरआरपीसीएल के साथ अंबरकर के सीधे संबंधों का पता चलता है। ये रिपोर्ट इस स्टोरी के साथ भी प्रकाशित की गई है।

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट से पता चला कि "दिसंबर 2022 में आरआरपीसीएल ने अंबरकर के स्वामित्व वाली एक ट्रैवल कंपनी को 444,000 रुपये ($5431) का भुगतान किया।" फॉरबिडन स्टोरीज और इंडियन एक्सप्रेस ने पाया कि आरआरपीसीएल और अंबरकर के बीच संबंध बहुत पहले से हैं: आरआरपीसीएल के जनसंपर्क अधिकारी अनिल नागवेकर ने वारिशे मामले के बारे में पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने स्वीकार किया कि उन्होंने 2018 से अंबरकर के साथ बातचीत की थी। नागवेकर ने कबूल किया कि आरआरपीसीएल की एक प्रचार यात्रा में अंबरकर भी शामिल था और उसकी ट्रैवल कंपनी ने रिफाइनरी अधिकारियों को वाहन सेवाएं प्रदान की थीं।

दिसंबर 2022 में संगठनों ने पाया कि अंबरकर के स्वामित्व वाली कंपनी को आरआरपीसीएल 444,000 रुपये ($5431) का भुगतान किया। फॉरबिडन स्टोरीज और इंडियन एक्सप्रेस ने पाया कि आरआरपीसीएल और अंबरकर के बीच संबंध

2018 तक हैं। आरआरपीसीएल के जनसंपर्क अधिकारी अमित देगवेकर ने वारिशे मामले के बारे में पूछताछ के दौरान पुलिस के सामने स्वीकार किया कि वे 2018 से अंबरकर के साथ संपर्क में थे।

बाएं: वह जीप जिसने 6 फरवरी को शशिकांत वारिशे को टक्कर मारी थी, जिस पर आरआरपीसीएल का स्टिकर लगा हुआ है। दाएं: जीप के बम्पर के नीचे शशिकांत की मोटरसाइकिल।

वारिशे की मौत से पहले भी अंबरकर पर योजना का विरोध कर रहे एक व्यक्ति को अपनी जीप से घायल करने के आरोप में आपराधिक चार्ज लग चुके थे। आरोप था कि वर्ष 2020 में अंबरकर ने रिफाइनरी-विरोधी कार्यकर्ता को अपनी जीप से घायल कर दिया था जिसकी वजह से कार्यकर्ता लगभग दो सप्ताह तक अस्पताल में भर्ती रहा। इसके दो साल बाद अंबरकर पर राजापुर कोर्ट के बाहर एक अन्य रिफाइनरी विरोधी प्रदर्शनकारी का सिर फोड़ने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया। दोनों घटनाओं के बाद से अंबरकर पर धमकी देना, खतरनाक हथियारों या साधनों से चोट पहुंचाना और लापरवाही से गाड़ी चलाना जो दूसरे के जीवन को खतरे में डालता है, जैसे आपराधिक मामले चलते रहे । फॉरबिडन स्टोरीज और इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि रिफाइनरी विरोधी कार्यकर्ताओं पर हिंसा के इन मामलों के बावजूद आरआरपीसीएल ने अंबरकर को योजना को आगे बढ़ाने में मदद करने के बदले भुगतान किया।

इंडियन एक्सप्रेस और फॉरबिडन स्टोरीज को इस बात का कोई सबूत नहीं मिला कि आरआरपीसीएल या उसके किसी भी वाणिज्यिक निवेशक ने वारिशे या किसी अन्य कार्यकर्ता के खिलाफ हिंसा को कराया या उकसाया था

लोगों के अधिकारों पर डाका डालकर जमीन हड़प ली जाती है

वारिशे की रिपोर्ट से हमें पता चला कि योजना के विकास में अंबरकर की प्रमुख भागीदारी भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया से संबंधित है। फॉरबिडन स्टोरीज और इंडियन एक्सप्रेस को मिले दस्तावेजों से पता चलता है कि 2021से 2023 के बीच अंबरकर और उनके रिश्तेदार अक्षय अंबरकर, रिफाइनरी परियोजना क्षेत्र के अंदर स्थित गांवों में 34 भूमि लेनदेन में शामिल थे जिसकी कीमत 28,300,900 रुपये (लगभग $ 340,000 USD) थी।

ग्लोबल विटनेस ने ऐसे ही एक सौदे की रिपोर्ट देखी तो पता चला कि स्थानीय समाचार-आउटलेट स्प्राउट्स की एक जांच के अनुसार योजना के पक्ष में कवरेज के लिए लालच देने का प्रयास किया और अंबरकर ने कथित तौर पर तीन स्थानीय पत्रकारों को 2,000 डॉलर से अधिक मूल्य की भूमि हस्तांतरित की।

कार्यकर्ताओं और स्थानीय लोगों ने ग्लोबल विटनेस को बताया कि रिफाइनरी साइट के आसपास अंबरकर का भूमि-सौदा केवल व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से नहीं था। यह स्थानीय विरोध को बेअसर करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा था। फॉरबिडन स्टोरीज और इंडियन एक्सप्रेस के आगे के विश्लेषण से पता चला कि 2018 और 2022 के बीच प्रस्तावित योजना क्षेत्र के अंदर गांवों में भूमि लेनदेन में 200 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इनमें से कई लेनदेन में सरकार से जुड़े आंकड़े शामिल जिन्हें योजना के बारे में अंदरूनी जानकारी थी। इसका खुलासा हिंदुस्तान टाइम्स की उस रिपोर्टिंग से हुआ जिसमें भूमि लेनदेन कि दस्तावेजों का विश्लेषण हुआ था। स्थानीय कार्यकर्ताओं ने ये रिपोर्ट ग्लोबल विटनेस के साथ साझा किया।

इस योजना का हिस्सा कार्यकर्ताओं का मानना है कि अंबरकर और अन्य लोगों ने महाराष्ट्र के बाहर के निवेशकों को बेचने से पहले स्थानीय लोगों से कम कीमत पर जमीन लेने की कोशिश की। इन निवेशकों का स्थानीय लोगों से कोई लगाव नहीं है और अंदर से कहीं न कहीं ये लोग सरकार से जुड़े हैं। ऐसे में ये फायदे के लिए खुशी-खुशी जमीन रिफाइनरी को बेच देंगे।

रिफाइनरी परियोजना का विरोध करने वाले पर्यावरण कार्यकर्ता सत्यजीत चव्हाण ने ग्लोबल विटनेस को बताया, "वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि सौदा हो जाने और रिफाइनरी की योजना तैयार होने के बाद भूमि मालिकों का कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि वे सभी निवेशक होंगे।"

> ***"वे यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि सौदा हो जाने और रिफाइनरी की योजना तैयार होने के बाद भूमि मालिकों का कोई विरोध नहीं होगा, क्योंकि वे सभी निवेशक होंगे।"*** – रिफाइनरी परियोजना का विरोध करने वाले पर्यावरण कार्यकर्ता सत्यजीत चव्हाण

स्थानीय लोगों ने ग्लोबल विटनेस को बताया कि इस प्रक्रिया का अधिकांश हिस्सा अपारदर्शी तरीके से पूरा किया गया जो भागीदारी और सहमति पर अंतरराष्ट्रीय सिद्धांतों का संभावित उल्लंघन था। राजापुर के राजस्व कार्यालय में हुए व्यवसायिक अनुबंध और कार्यकर्ताओं को सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मिली जानकारियों के अनुसार योजना क्षेत्र के अंदर होने वाले दर्जनों भूमि लेनदेन स्थानीय लोगों को फरवरी 2021 में योजना के बारे में सूचित करने से पहले कर लिये गये थे। फिर भी रिफाइनरी को स्थानांतरित करने का निर्णय इससे बहुत पहले लिया गया था: ग्लोबल विटनेस ने एक सरकारी प्रस्ताव देखा जिसके अनुसार अक्टूबर 2019 में राज्य सरकार ने बारसू क्षेत्र में एक बड़ी लेकिन अनिश्चित योजना के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू करने की इजाजत दे दी थी। ग्लोबल विटनेस को आरटीआई डॉक्यूमेंट से मिली जानकारी के अनुसार इस प्रस्ताव के जारी होने और शुरुआती बैठकों के बीच जहां स्थानीय लोगों को पहली बार रिफाइनरी योजनाओं के बारे में बताया गया, सैकड़ों एकड़ जमीन 1 मिलियन डॉलर से अधिक के सौदों में बदल गई।

रिफाइनरी विरोधियों का दावा है कि जिन लोगों ने अपनी जमीन बेची उनमें से कई को यह नहीं बताया गया था कि इसका इस्तेमाल एक बड़ी औद्योगिक योजना के लिए किया जाएगा। पारदर्शिता की कमी के कारण वे अपनी जमीन बेचने के लिए तैयार हो गये। अगर उन्हें पूरी जानकारी होती तो शायद वे इसे नहीं बेचते या कम कीमत स्वीकार नहीं करते। कम कीमत की वजह ने बाहरी निवेशकों को और प्रोत्साहित किया।

देवाचे गोठाणे के परिषद नेता कमलाकर मारुति गुरव ने ग्लोबल विटनेस को बताया, "उन्होंने गरीब लोगों को उनकी जमीन हड़पने और रिफाइनरी योजना शुरू करने के लिए परेशान किया।" उनका दावा है, ''किसानों को अपनी जमीन सस्ते में बेचने के लिए मूर्ख बनाया जा रहा था, उन्हें बताया गया था कि इसका इस्तेमाल केवल खेती के लिए किया जाएगा।''

साथ ही स्थानीय लोगों और अन्य प्रभावित हितधारकों के साथ पारदर्शी रूप से संवाद नहीं किया गया, उनकी चिंताओं को दूर नहीं किया गया। उन्हें बिना सूचना दिये और बिना उनकी भागीदारी योजना को आगे बढ़ाने की कोशिश करके आरआरपीसीएल व्यवसाय के लिए अंतरराष्ट्रीय मानकों को बनाए रखने में विफल हो रही है। इनमें बहुराष्ट्रीय उद्यमों के लिए ओईसीडी दिशानिर्देश शामिल हैं जिसमें कहा गया है कि "कंपनियों से उनकी गतिविधियों पर प्रासंगिक जानकारी देने की अपेक्षा की जाती है"; और संयुक्त राष्ट्र के मार्गदर्शक सिद्धांत जिनके लिए कंपनियों को " उनके संचालन, उत्पादन से मानव अधिकारों पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को रोकने या कम करने की कोशिश करने की आवश्यकता होती है"।

ग्लोबल विटनेस ने आरआरपीसीएल और उसके वाणिज्यिक निवेशकों को बातचीत की प्रक्रिया की विफलताओं पर टिप्पणी करने के लिए आमंत्रित किया। लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

एडीएनओसी के एक प्रवक्ता ने फॉरबिडन स्टोरीज को बताया, "2018 में एडीएनओसी ने भारत के रत्नागिरी रिफाइनरी योजना में संभावित रणनीतिक साझेदारी के लिए एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया था। लेकिन एडीएनओसी प्रस्तावित योजना में सक्रिय रूप से अभी तक शामिल नहीं हुआ है।"

विरोध का दमन

वारिशे की हत्या से मामले ने तुल पकड़ लिया और रिफाइनरी योजना का विरोध और बढ़ गया। फिर भी दो महीने बाद ही अप्रैल 2023 में अधिकारियों ने योजना की जगह पर शुरुआती काम बढ़ाने की कोशिश की।

सरकार ने क्षेत्र में सैकड़ों पुलिस अधिकारियों को तैनात कर दिया और उन्होंने तुरंत ही गिरफ्तारी शुरू कर दी।

स्थानीय पर्यावरणविद् मंगेश चव्हाण ने याद करते हुए कहा, "22 अप्रैल को जब मैं अपने घर से रत्नागिरी शहर जा रहा था तो पुलिस ने मुझे पकड़ लिया।" सत्यजीत चव्हाण को उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। चार दिन बाद जब उन्हें रिहा किया गया तब तक उन पर आठ अपराधों का आरोप लगाया जा चुका था। सत्यजीत चव्हाण का मानना है कि रिफाइनरी पर उनकी सक्रियता के जवाब में पुलिस निगरानी के बाद गिरफ्तारी की गई।

उन्होंने ग्लोबल विटनेस को बताया, "मेरे फोन पर नजर रखी गई। मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर बदलना पड़ा क्योंकि पुलिस इस पर नजर रख रही थी। हमें डर है। लेकिन अब यहां तक इतनी दूर आने के बाद हम अब वापस नहीं जा सकते।"

रत्नागिरी शहर के ठीक दक्षिण में जुवे गांव के पर्यावरणविद् मंगेश चव्हाण को गिरफ्तार कर लिया गया और चार दिनों तक बिना किसी आरोप के हिरासत में रखा गया। उन्होंने ग्लोबल विटनेस को बताया कि रिफाइनरी विरोधी अभियान में उनकी कोई पूर्व भागीदारी नहीं थी। श्रेय: आशीष वैष्णव

ऐसा नहीं था है कि योजना का प्रमुख रूप से विरोध करने वाले मंगेश और सत्यजीत ही निशाने पर हैं। रिफाइनरी साइट के भीतर के गांवों के आठ अन्य लोगों को एक महीने से अधिक समय तक के लिए राजापुर के उप-जिले में प्रवेश करने से प्रतिबंधित कर दिया। इसके लिए नोटिस जारी किया गया। ये जगह प्रस्तावित रिफाइनरी साइट के करीब की है। बाद में बॉम्बे हाई कोर्ट में नोटिस को पलट दिया गया। लेकिन तब तक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तारी से बचने के लिए छिपने को मजबूर होना पड़ा।

जहां जमीन का सर्वे और निर्माण से पहले टेस्ट होना था, उस क्षेत्र में पुलिस ने कर्फ्यू लगा दिया और सार्वजनिक समारोहों पर प्रतिबंध लगा दिया।

लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर की गई इस कार्रवाई का असर बहुत ज्यादा नहीं दिखा। 24 अप्रैल 2023 को सैकड़ों ग्रामीणों ने परियोजना स्थल पर मार्च किया। अगले दिन उन्होंने निर्माण से पहले भूमि सर्वे और मिट्टी टेस्टिंग शुरू करने वाले मजदूरों को रोकने के लिए सड़क जाम कर दिया। अगले कुछ दिनों तक टकराव की स्थिति बनी रही। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि पुलिस बल प्रयोग किया जिसकी वजह से कई महिलाएं घायल हो गईं।

एक महिला प्रदर्शनकारी मानसी अमोल बोले ने ग्लोबल विटनेस को बताया, "उन्होंने हमें डंडों से मारा, महिलाओं को पकड़ लिया और उन्हें जमीन पर घसीटा। आंसूगैस के गोले फेंके।"

> ***"उन्होंने हमें डंडों से मारा, महिलाओं को पकड़ लिया और उन्हें जमीन पर घसीटा। आंसूगैस के गोले फेंके।"*** – एक महिला प्रदर्शनकारी मानसी अमोल बोले ने

शिवाने खुर्द गांव की प्रदर्शनकारी मानसी अमोल बोले का कहना है कि रिफाइनरी के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने महिलाओं को मारा और जमीन पर घसीटा। श्रेय:आशीष वैष्णव

विवाद शांत न होता देख अंतत: पुलिस ने क्षेत्र को बंद करा दिया और 10 किलोमीटर के दायरे में नाकेबंदी कर दी। क्षेत्र में आने और जाने वाली गाड़ियों की जांच की। पांच दिनों में कुल 313 लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन पर आपराधिक मामले दर्ज किये गये। एक ही आरोप पत्र में तो 164 लोगों को शामिल किया गया। कई ग्रामीणों पर भारत की दंड संहिता की कड़ी और विवादास्पद धारा 353 के तहत मामला दर्ज किया। इस धारा के तहत सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ अपराध करने पर मामला दर्ज किया जाता है। 2017 में ड्यूटी के दौरान एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी की पीट-पीटकर हत्या करने के बाद इस अपराध के लिए अधिकतम सजा दो से बढ़ाकर पांच साल कर दी गई थी। लेकिन इससे पहले दो मौकों पर इसके तहत दर्ज हुए मामलों की निंदा हुई और विरोध, आक्रोश के बाद 353 की धारा हटा ली गई।

प्रदर्शनकारियों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकील अश्विनी अगाशे ने ग्लोबल विटनेस को बताया, "यह लोगों को परेशान करने का एक तरीका है।" "यह एक बहुत महंगी प्रक्रिया है। उनमें से कुछ मुंबई में काम कर रहे हैं और सुनवाई में भाग लेने के लिए रत्नागिरी आने के लिए उन्हें काम के दिनों को छोड़ना पड़ता है।"

चिंताजनक हालात

बारसू में स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं का दमन ये बताता है कि भारत में पर्यावरण रक्षकों पर दबाव किस तरह बढ़ रहा है। 2023 में मानवाधिकार समूहों के एक गठबंधन ने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद को लिखे एक पत्र में देश में पर्यावरण रक्षकों के सामने आने वाले जोखिमों पर अपनी चिंता व्यक्त की जिसमें "मानवाधिकार रक्षकों के दमन के पैटर्न, बढ़ती तानाशही, कमजोर कानून व्यवस्था और स्वतंत्र संस्थानों के दमन पर प्रकाश डाला गया ।"

भारत में पर्यावरण प्रचारकों को भी गंभीर जोखिमों का सामना करना पड़ता है। ग्लोबल विटनेस ने 2012 से देश में भूमि और पर्यावरण रक्षकों की 81 हत्याएं दर्ज की हैं।

हाल के वर्षों में पत्रकारों की स्थिति भी खराब हो गई है। 2022 और 2023 के बीच रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में देश 180 देशों में से ग्यारह स्थान गिरकर 161वें स्थान पर आ गया है।

प्रेस स्वतंत्रता निगरानी संस्था ने देश पर अपने नवीनतम अपडेट में कहा, "जो भारतीय पत्रकार सरकार के बहुत आलोचक हैं, उन्हें चौतरफा उत्पीड़न और हमलों का शिकार होना पड़ता है।"

खतरे में पारंपरिक आजीविक

भले ही बारसू में रिफाइनरी परियोजना का विरोध करने पर स्थानीय लोगों और कार्यकर्ताओं के खिलाफ दमनकारी नीति अपनाई गई। लेकिन इससे उनकी उग्रता कम नहीं हुई।

अप्रैल के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के बाद आपराधिक मामलों का सामना करने वाली एक स्थानीय महिला प्रतीक्षा पवार ने ग्लोबल विटनेस को बताया, "वे हमें जेल में डाल सकते हैं। हम इससे डरते नहीं हैं, हम लड़ते रहेंगे।"

> ***"वे हमें जेल में डाल सकते हैं। हम इससे डरते नहीं हैं, हम लड़ते रहेंगे।"*** –
> अप्रैल के विरोध प्रदर्शन में भाग लेने के बाद आपराधिक मामलों का सामना करने वाली एक स्थानीय महिला प्रतीक्षा पवार ने

यह दृढ़ प्रतिरोध रत्नागिरी में लोगों की आजीविका और प्राकृतिक पर्यावरण के बीच घनिष्ठ संबंधों को दिखाता है जहां पिछली कई औद्योगिक मेगा-परियोजनाएं स्थानीय विरोध के कारण रुकी हुई हैं। विश्व प्रसिद्ध अल्फांसो आम के बागानों से लेकर इसके तटरेखा पर चलने वाले मछली पकड़ने के उद्योग तक ने सदियों से क्षेत्र की आजीविका में प्रमुख भूमिका निभाई और यहां की संस्कृति को आकार दिया।

यहां के आमों को भारत सरकार की ओर से भौगोलिक संकेतक टैग से सम्मानित किया गया है। इस आम की पैदावार रत्नागिरी और देवगढ़ कस्बों के बीच महाराष्ट्रीय तटरेखा के एक विशिष्ट क्षेत्र में जो होती है। ये वही क्षेत्र है जहां रिफाइनरी का काम शुरू होना है।

"मेरे परिवार ने पीढ़ियों से इसमें काम किया है।" रिफाइनरी का विरोध करने वाले आम किसान काशीनाथ शांताराम गोर्ले ने ग्लोबल विटनेस को बताया। उन्हें चिंता है कि स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र, हवा और पानी की गुणवत्ता पर

रिफाइनरी का प्रभाव आम की फसलों को प्रभावित करेगा और उसकी उस विशिष्टता को कम करेगा जो उसे खास बनाता है। ऐसे में इस क्षेत्र का सबसे महत्वपूर्ण उद्योग नष्ट हो सकता है।

तटरेखा के नीचे क्षेत्र के अन्य प्रमुख उद्योगों के श्रमिकों को भी डर है कि रिफाइनरी के आने से उनकी आजीविका तबाह हो सकती है। रत्नागिरी की 103 मत्स्य सहकारी समितियों से जुड़कर काम करने वाले लगभग 30,000 लोग भी इस योजना से खतरा महसूस कर रहे हैं।

"अगर वे इस योजना के लिए एक बंदरगाह बनाते हैं, तो क्या वे हमें इसके पास मछली पकड़ने देंगे?" सखारी नाटे गांव के एक मछुआरे माजिद अब्दुल लतीफ गोवलकर ने ग्लोबल विटनेस से पूछा। "नहीं, क्योंकि तटरेखा से 20 किमी दूर एक लंगरगाह (नौका बांधने की जगह) होगा, वहां बड़े जहाज आते-जाते रहेंगे।" गोवलकर ने कहा कि कोई भी टर्मिनल उनके नौकायन के रास्तों को रोक देगा। उन्होंने कहा कि वर्तमान में वह अपने मछली पकड़ने के मैदान से रत्नागिरी शहर तक तीन घंटे में जा सकते हैं। लेकिन अगर एक बंदरगाह बनाया गया तो उनके अनुसार इस यात्रा में दस घंटे लगेंगे।

भारत के महाराष्ट्र के रत्नागिरी शहर के बाहरी इलाके में कजली नदी के मुहाने खड़ी मछली पकड़ने वाली नावें। श्रेय: आशीष वैष्णव

इन चिंताओं के बीच कि रिफाइनरी स्थानीय आजीविका को नष्ट कर देगी आरआरपीसीएल का तर्क है कि हर साल कई युवा काम की तलाश में रत्नागिरी से पलायन कर जाते हैं, जिससे मुंबई को दुनिया का सबसे घनी आबादी वाला शहर बने रहने में मदद मिलती है। लेकिन ये योजना क्षेत्र में बहुत जरूरी नौकरियां लाएगी।

इन तर्कों का समर्थन रत्नागिरी के कुछ स्थानीय लोग भी कर रहे हैं। राजापुर शहर में एक छोटे व्यवसाय के मालिक पेडनेकर ने इस साल की शुरुआत में बीबीसी को बताया, "युवा पुरुषों और महिलाओं की पूरी पीढ़ियों को हर साल आजीविका के लिए मुंबई और पुणे जाना पड़ता है।" "गांव खाली हो रहे हैं क्योंकि नौकरियां नहीं हैं। अगर हमें यहां रिफाइनरी मिलती है और इसमें 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा तो यहां की आबादी बढ़ जाएगी और इससे स्थानीय व्यवसायों को मदद मिलेगी। हमें इसका विरोध क्यों करना चाहिए?"

लेकिन रिफाइनरी विरोधियों का कहना है कि रिफाइनरी में रोजगार से कुछ ही स्थानीय लोगों का फायदा होगा क्योंकि इसमें काम करने के लिए बड़े शहरों और विदेशों से उच्च स्तर की तकनीकी शिक्षा वाले कर्मचारियों की आवश्यकता होगी। इसके बजाय वे कहते हैं कि यह सीधे तौर पर पारंपरिक आजीविका को विस्थापित करेगा और व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र और नाजुक पर्यावरणीय संतुलन को बाधित करेगा जिस पर वे निर्भर हैं।

नाजुक पर्यावरण जो बदल जाएगा

रत्नागिरी की पारिस्थितिक नाजुकता इसे बनाने वाले दो प्रमुख पारिस्थितिक तंत्रों से उत्पन्न होती है: कोंकण, उष्णकटिबंधीय समुद्र तट का समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र, और यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला।

2011 में भारत के पर्यावरण और वन मंत्रालय के एक पैनल ने पश्चिमी घाट की पारिस्थितिकी पर एक रिपोर्ट जारी की। इसने क्षेत्र की पारिस्थितिक संवेदनशीलता पर जोर दिया और अधिक औद्योगिक बुनियादी ढांचे के विकास के खिलाफ चेतावनी दी। साथ ही सरकार से संरक्षण उपायों को लागू करने का आग्रह किया।

इसी तरह वैज्ञानिकों ने भी महाराष्ट्र की दक्षिणी तटरेखा की नाजुकता पर जोर दिया है और सरकार से इसकी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त संरक्षण उपाय अपनाने का आग्रह किया है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) में पश्चिमी घाट की समन्वयक और 25 वर्षों से इस क्षेत्र का अध्ययन कर रही वनस्पतिशास्त्री अपर्णा वटवे ग्लोबल विटनेस को बताती हैं, "कोंकण का महाराष्ट्रीयन हिस्सा अत्यधिक विशिष्ट परिस्थितियों और विशेष जैव विविधता के साथ बहुत खास है।" अरब सागर से ऊपर उठने वाले क्षेत्र के कठोर लैटेराइट हर साल मानसून के चार महीनों के दौरान जीवंत हो जाते हैं, इनका रंग बदल जाता है। पौधे के जीवन का यह आकर्षण अक्टूबर तक खत्म हो जाता है और ऊंची चट्टानें वर्ष के बाकी समय में धूप से ढकी और नंगी पड़ी रहती हैं।

वाटवे कहती हैं, "यहां सब कुछ इलाके की आबोहवा के चरम सीमाओं के अनुकूल है।" उन्होंने कहा कि उनके शोध से "उच्च स्तर स्थानिकता" का पता चलता है।

आरआरपीसीएल ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ऐसी योजनाओं से पर्यावरण को नुकसान पहुंच सकता है। कंपनी अपनी वेबसाइट पर कहती है, "सख्त नियंत्रण रखा जाये तो ऐसी योजनाओं का पर्यावरण, आबादी, उस क्षेत्र या उसके पास होने वाली खेती पर इसका न्यूनतम प्रभाव पड़ता है।"

प्रस्तावित तेल रिफाइनरी के बारे में पूछे जाने पर, वाटवे ने कहा कि उनके पास प्रस्तावित तेल रिफाइनरी की अंतिम योजना या पर्यावरण पर पड़ने प्रभावों की बहुत ज्यादा जानकारी उनके पास नहीं है। ऐसे में वे अभी इस पर कोई अंतिम टिप्पणी नहीं दे सकतीं।

"एक वैज्ञानिक समुदाय से होने के नाते हमने पश्चिमी घाट पारिस्थितिकी तंत्र की संवेदनशीलता को बार-बार साबित किया है।" "यह जानते हुए भी, यह समझ से परे है कि एक विशिष्ट पारिस्थितिकी तंत्र वाला क्षेत्र प्रस्तावित उद्योग का खामियाजा कैसे उठा पाएगा।"

कई विशेषज्ञों ने ग्लोबल विटनेस को बताया कि भारत में पर्यावरण सुरक्षा उपायों के कमजोर होने की वजह से स्थानीय पारिस्थितिक तंत्र पर रिफाइनरी के प्रभाव को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं। मुंबई स्थित ईआईए विशेषज्ञ पार्थ बापट कहते हैं, "पर्यावरण प्रभाव आकलन [ईआईए] प्रक्रिया को कमजोर किया जा रहा है, मानकों को कम किया जा रहा।"

वर्ष 2020 में संयुक्त राष्ट्र की एक पांच लोगों की टीम ने भारत में ईआईए प्रक्रियाओं में प्रस्तावित संशोधनों का जवाब देते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया। बयान स्पष्टीकरण मांगा गया कि ये परिवर्तन "अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत भारत के

दायित्वों के अनुरूप कैसे हैं।" टीम ने अपनी चिंताओं की एक पूरी कड़ी की ओर ध्यान खींचा जिसमें सरकार से पूछा गया कि ऐसी सार्वजनिक योजनाओं के विस्तार के लिए स्थानीय लोगों की सहमति कैसे ली गई, पर्यावरणीय अनुमति लिए बिना योजनाओं को मंजूरी कैसे मिली आदि। उन्होंने इजाजत देने की प्रक्रिया, स्थानीय लोगों की राय न लेना और सार्वजनिक सुनवाई को नियंत्रित करने वाली शक्तियों की आलोचना ककी और चेतनावनी भी दी, "ये जनता के लिए और कठिन बनाता है। इसमें सीधे प्रभावित होने वाले स्थानीय लोग तो शामिल हैं ही, वे भी हैं जो पर्यावरणीय निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अपने अधिकार का प्रयोग करते हैं।

कुल मिलाकर इन परिवर्तनों से मानवाधिकारों और पर्यावरण मानकों का उल्लंघन होने का खतरा है, जिसका उल्लेख एक अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में सीरीज के तहत किया गया। टीम ने कहा, नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध, मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन की घोषणा, रियो घोषणा, पर्यावरण और विकास पर स्थानीय लोगों के अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र घोषणापत्र, व्यापार और मानव अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र मार्गदर्शक सिद्धांत पर प्रकाश डाला गया।

ऑनलाइन निगरानी, इंटरनेट प्रतिबंध और भारत के आतंकवाद विरोधी कानून गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम (यूएपीए) के तहत नोटिस सहित कई स्थायी हमलों के खिलाफ भारत में कई पर्यावरण समूहों ने अभियान चलाया। अंततः, परिवर्तनों वाली मसौदा अधिसूचना कानून में पारित हुए बिना ही समाप्त हो गई। लेकिन कई विवादस्पर फैसले, जिनका जिक्र संयुक्त राष्ट्र की टीम ने भी किया था, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किए गये ज्ञापनों के माध्यम से टुकड़ों में प्रभावी हो गए हैं।

नष्ट हो सकती है प्राचीन शैल कला

रिफाइनरी के लिए जिस जगह का चयन किया गया है, उससे आश्चर्यचकित होने वालों में वाटवे जैसे पारिस्थितिकी विज्ञानी एकमात्र विशेषज्ञ नहीं हैं। पिछले दशक में पुरातत्वविदों ने हजारों रहस्यमयी पेट्रोग्लिफ्स का पता लगाया है जो कई सहस्राब्दियों पहले अज्ञात लोगों द्वारा सीधे चट्टान में उकेरी गई थीं। यह शानदार रॉक कला जानवरों, मनुष्यों और दोनों के बीच मुठभेड़ों को दर्शाती है: शार्क, मछली, एक स्टिंगरे, पक्षी, नीचे से चित्रित एक छिपकली, एक हाथी जिसका धड़ नब्बे छोटी नक्काशी से भरा हुआ है; लोग अपनी बाँहों को अपने सिर के ऊपर बंद करके सीधी रेखाओं और घूमते हुए पैटर्न से ढाँचे में रखते हैं। एक जलते हुए दृश्य में एक व्यक्ति दो विशाल छलांग लगाने वाले बाघों को पकड़ कर अलग करता हुआ दिखाई देता है जो कि मास्टर ऑफ एनिमल्स मोटिफ के स्पष्ट रूप से प्राचीनम है।

ग्रामीण कमलाकर मारुति गुरव भारत के महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के देवाचे गोठाणे गांव के बाहर एक चट्टानी पठार में खुदी हुई एक प्राचीन पेट्रोग्लिफ की ओर इशारा करते हुए। श्रेय: आशीष वैष्णव

पुरातत्वविदों ने नक्काशी को 10,000 से 40,000 वर्ष के बीच पुराना बताया है जो उनकी उम्र के कई संकेतकों की ओर इशारा करते हैं: बैल या अन्य पशुधन की अनुपस्थिति से यह पता चलता है कि खेती-किसानी शुरू होने से पहले के है। दरियाई घोड़े की नक्काशी जो 12,000 वर्षों से इस क्षेत्र में नहीं देखी गई और माइक्रोलिथ या छोटे पत्थर के औजारों की उपस्थिति आमतौर पर मेसोलिथिक काल की है।

जबकि कोंकण तट के 300 किमी के क्षेत्र में हजारों ग्लिफ पाए गए हैं, "रत्नागिरी में अब तक की सबसे बड़ी सघनता है," पुरातत्वविद् सुधीर रिस्बड कहते हैं। उनकी टीम ने प्रस्तावित रिफाइनरी क्षेत्र में 200 जियोग्लिफ़ का दस्तावेजीकरण किया है जो निर्माण योजनाओं से प्रभावित हो सकते हैं। कलाकृतियों के दो समूह पुरातात्विक स्थलों का निर्माण करते हैं जिन्हें यूनेस्को की विश्व धरोहर के लिए नामांकित किया गया है।

"हम विकास के खिलाफ नहीं हैं," सुधीर जोर देकर कहते हैं। “लेकिन यहां के लोग चिंतित हैं कि वे विकास को ठीक से लागू नहीं कर रहे हैं। खाड़ियाँ, मछली पकड़ने का उद्योग, पूरे क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण जल भंडार, इन सबकी यहां बड़ी उपयोगिता है। वे इस योजना की वजह से यहां के लोगों पर पड़ने प्रभाव का व्यापक आंकलन ही नहीं कर पाये।

तेल की मांग

भारत की तेल मांग में भारी अनुमानित वृद्धि के बीच भारत सरकार इस योजना का समर्थन कर रही है। आर्थिक खुफिया इकाइयों का अनुमान है कि बढ़ती आबादी और तेजी से आर्थिक विकास से यात्री कारों, माल परिवहन और विमानन सहित प्रमुख क्षेत्रों में मांग में वृद्धि होगी। इस संदर्भ में मंत्री आरआरपीसीएल को भारत की भविष्य की ऊर्जा सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण मानते हैं।

अप्रैल के विरोध के मद्देनजर महाराष्ट्र के उद्योग मंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार स्थानीय लोगों का विश्वास जीतने के बाद ही इस परियोजना पर आगे बढ़ेगी। हालांकि ऐसी प्रतिबद्धताओं को सितंबर तक भुला दिया गया था जब भारत की केंद्र सरकार ने निर्माण के लिए अपना दृढ़ संकल्प दोहराया। भारत के विदेश मंत्रालय के अनुसार सऊदी नेता मोहम्मद बिन सलमान और भारत के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी इस प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एक टास्कफोर्स स्थापित करने पर सहमत हुए।

हालाँकि ऊर्जा विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि इस पैमाने की योजना भारत की नेट-जीरो प्रतिबद्धताओं को कमजोर करती है। हालांकि 2029 से पहले इस योजना के चालू होने की संभावना नहीं है। यह प्रति वर्ष 177 मिलियन टन CO2 जारी कर सकता है जो लगभग नीदरलैंड या अर्जेंटीना के वार्षिक उत्सर्जन के लगभग बराबर है।

क्लाइमेट एनालिटिक्स की ऊर्जा अर्थशास्त्री नंदिनी दास ने भारत स्थित आउटलेट क्लाइमेट फैक्ट चेक्स को बताया, "तापमान 1.5°C बढ़ने की दिशा में भारत को 2040 तक जीवाश्म ईंधन को चरणबद्ध तरीके से बंद करने की आवश्यकता है।" यह संयुक्त राष्ट्र और आईईए के व्यापक वैज्ञानिक सहमति की ओर ध्यान दिलाता कि नये तेल और गैस क्षेत्रों का विकास 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि के साथ ठीक नहीं रहेगा।

हितों का टकराव

संयुक्त अरब अमीरात में हुए सीओपी-28 में सीओपी ने 1.5 डिग्री सेल्सियस तापमान वृद्धि से को नीचे रखने का प्रमुख लक्ष्या बताया। सम्मेलन के अध्यक्ष, सुल्तान अहमद अल जाबेर एडीएनओसी के सीईओ हैं जो रत्नागिरी रिफाइनरी परियोजना के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।

COP28 की अध्यक्षता करते हुए अल जाबेर के एक विवादित बयान पर काफी बातें हुईं। पहले उन्होंने कहा, “"इसके पीछे कोई ऐसा विज्ञान नहीं है जो कहता है कि जीवाश्म ईंधन के उपयोग को चरणबद्ध तरीक से बंद करने पर ग्लोबल वॉर्मिंग को 1.5 डिग्री सेल्सियस तक सीमित रखा जा सके। जीवाश्म ईंधन का उपयोग बंद करना और दूसरी ओर आर्थिक विकास को बनाए रखना असंभव होगा, मुझे उम्मीद है कि आप दुनिया को वापस गुफाओं में नहीं ले जाना चाहते।"

हालांकि बाद में उन्होंने दावा किया कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया। अंततः COP28 के समापन में 198 देश जीवाश्म ईंधन के उपयोग से दूर जाने पर सहमत हुए। पहली बार COP समझौते में जीवाश्म ईंधन का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। हालाँकि यह जलवायु-संवेदनशील देशों की प्रमुख मांगों के अनुसार नहीं रहा।

हालाँकि एडीएनओसी के सीईओ के रूप में अल जाबेर खुद जीवाश्म ईंधन से दूर जाने के बहुत कम संकेत दिखाते हैं, उन्हें चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने की बात तो दूर की बात है। वास्तव में आरआरपीसीएल की विशाल संभावित शोधन क्षमता जीवाश्म ईंधन उत्पादन को बड़े पैमाने पर बढ़ाने की एडीएनओसी की व्यापक योजनाओं के साथ अच्छी तरह से मेल खाती है। वैश्विक उद्योग आंकड़ों और विश्लेषण से पता चलता है कि एडीएनओसी ने 2030 में 1.25 बिलियन बैरल तेल के बराबर उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है जो मौजूदा स्तर पर 42 प्रतिशत की वृद्धि है। इसके विपरीत संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का कहना है कि यदि सीमित तापमान 1.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है तो 2030 तक वैश्विक उत्सर्जन में 45 प्रतिशत की कमी होनी चाहिए - जिसे अल जाबेर ने सीओपी28 की सर्वोच्च प्राथमिकता होने का दावा किया है कि इसे बनाए रखना संभव है।

यदि सब कुछ मूल योजनाओं के अनुसार रहा तो आरआरपीसीएल एडीएनओसी के लिए काफी कच्चा तेल रिफाइन कर सकता है। इसकी प्रतिदिन 1.2 मिलियन बैरल की क्षमता 2030 तक एडीएनओसी के 60 मिलियन टन उत्पादन प्रति वर्ष के लक्ष्य का लगभग एक चौथाई हिस्सा संभाल सकती है। आखिरकार COP28 के अध्यक्ष ने दुनिया की सबसे बड़ी नई जीवाश्म ईंधन परियोजना में भारी निवेश किया है और अगर यह आगे नहीं बढ़ी तो अरबों डॉलर का नुकसान होगा।

वैश्विक जलवायु वार्ता के केंद्र में हितों का ऐसा टकराव रत्नागिरी के ग्रामीणों के लिए एक विशेष चिंता का विषय है। अध्ययनों ने जलवायु परिवर्तन के प्रति भारत की संवेदनशीलता को बार-बार उजागर किया है। विश्व बैंक ने चेतावनी दी है कि मानसून चक्र के अस्थिर होने से एक बड़ा संकट पैदा हो सकता है, जिससे भारत के बड़े हिस्से में लगातार सूखे के साथ-साथ बाढ़ भी आ सकती है। इसमें कहा गया है कि तटीय क्षेत्र विशेष रूप से खतरे में हैं, क्योंकि समुद्र के स्तर में वृद्धि और तूफान की लहरें पीने के पानी को दूषित कर सकती हैं और हैजा महामारी जैसी बीमारियां बढ़ सकती हैं।

रत्नागिरी विशेष रूप से असुरक्षित है। 2021 के एक अध्ययन से पता चला है कि इसकी तटरेखा का 48 प्रतिशत से अधिक हिस्सा बाढ़ के उच्च जोखिम वाले क्षेत्र में है। 1978 के बाद से रत्नागिरी में उच्च ज्वार का स्तर छह सेंटीमीटर बढ़ गया है जिससे समुद्र तटों का क्षरण हुआ है और मुहाने और समतल भूमि को नुकसान हुआ है। अरब सागर पर चक्रवाती गतिविधि पहले से ही तेज हो रही है, जिससे बारिश और हवाएँ पैदा हो रही हैं जिससे भारत के पूरे पश्चिम में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।

रक्षकों को चुप कराना

तब रत्नागिरी के ग्रामीण खुद को जलवायु संकट की अग्रिम पंक्ति में पाते हैं। उनकी स्थिति उन लोगों की नजरों में रखती है जो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यस्था वाले देश में बढ़ते वैश्विक तापमान से निपटने की तत्काल आवश्यकताओं पर जोर देते हैं। यह वह देश भी है जो संकट का कारण बनने वाले उत्सर्जन के लिए न्यूनतम ऐतिहासिक जिम्मेदारी के साथ है।

लेकिन इस बहस में उनकी आवाज को खामोश किया जा रहा है। ग्लोबल विटनेस ने भारत सरकार और योजना डेवलपर्स से यह सुनिश्चित करने का आह्वान किया है कि समुदायों के अधिकारों को बरकरार रखा जाए और उनकी भूमि और पर्यावरण के साथ उनके संबंधों का सम्मान किया जाए।

(सीएसओएस, डिफेंडर्स और एचआरडीए इंडिया से आरईसीएस स्थापित करना होगा। जेवियर को अमेरिकी दृष्टिकोण से फीडबैक देना होगा। और सीओपी से किसी का फॉलोअप लेना होगा)।

सिफारिशें

- भारत सरकार और आरआरपीसीएल को बड़े पैमाने पर बुनियादी निर्माण योजनाओं के विकास में अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करना चाहिए। इसमें यह भी सुनिश्चित हो कि करना शामिल है कि प्रभावित समुदायों को परिवर्तन और विकास की जानकारी दी जाती रहे और भूमि अधिग्रहण जैसी प्रमुख प्रक्रियाएं उनकी जानकारी के बिना शुरू नहीं की जाएं।
- योजना डेवलपर्स को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी योजना के सामाजिक और पर्यावरणीय दोनों संभावित प्रभावों पर शोध की विशेषज्ञों द्वारा समीक्षा और मूल्यांकन किया जाए और प्रभावित समुदायों के साथ साझा किया जाए ताकि वे योजना को लेकर अपना पक्ष रखने में सक्षम हो सकें।
- सरकार को अभिव्यक्ति, सभा और विरोध की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। औद्योगिक योजनाओं के बारे में वैध चिंताओं को व्यक्त करने वालों को चुप कराने या डराने के लिए कानूनी साधनों का उपयोग करने से बचना चाहिए जो उन पर प्रभाव डालेंगे।
- सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के मूल्यांकन की प्रक्रियाएं अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हों। इसमें 2020 में संयुक्त राष्ट्र की विशेष टीम सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए विशेष रूप से प्रभावित समुदायों की भागीदारी और परामर्श सुनिश्चित हो।